कार्यालय लोक सूचना अधिकारी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जे–9, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004 फोन नम्बर–0141–2710944

क्रमांकः–भ्रनिब्यूरो / अशा / 3 / आरटीआई / 2022 / 1346 दिनांक : 8-6-22

प्रभारी
कम्पयूटर शाखा,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत विभाग की वेबसाईट पर धारा 4(1)(B) की सूचनाओं को अपलोड़ व अपड़ेट करने बाबत।

प्रसंगः–राज. सरकार गृह (ग्रुप–6) विभाग के पत्रांक 3(33)गृह–6 / 2022 दिनांक 20.05.2022

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में सयुक्त शासन सचिव (गृह ग्रुप–6) विभाग एवं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) की प्रतियां संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्रादि में अंकितानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत विभाग की वेबसाईट पर धारा 4(1)(B) की सूचनाओं को अपलोड व अपड़ेट करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(विशनाराम)
लोक सूचना अधिकारी

5620
25-5-22

25 MAY 2022

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक प. 3(33)गृह–6/2022 जयपुर, दिनांक 20.05.2022

DG	
ADG	
IG	
DYIG	
SP	
OS	
Section	RTI

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, गृह रक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर। ।
3. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राज0 जयपुर।
4. महानिदेशक, कारागार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, अभियोजन विभाग, राज0 जयपुर।
6. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कंसलटेंट, पर–पक्षीय ऑडिट हरिशचन्द माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 18.04.2022 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.01.2022 की छायांप्रति संलग्न कर निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4, विशेष से धारा 4 (1) (ख) में उल्लेखित सभी 17 बिन्दुओं पर विभाग से संबंधित स्वतः प्रकट की जाने वाली सूचनाओं को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने/पूर्व में अपलोड की गयी सूचनाओं को अपलोड कराने, अप्लोड करने/अपडेट करने की तिथि वेबसाईट पर अंकित हेतु अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकरणों को निर्देशित कर सूचना सात दिवस में अद्यतन/अपलोड की कार्यवाही सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था करावें।

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह तंवर)
संयुक्त शासन सचिव, गृह

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी
1063
26-5-22

गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या ...
दिनांक ...

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव,
गृह (आपदा) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
क्रमांक.............. दिनांक..............

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

क्रमांक प. 3(22) प्रसू/सूअप्र/2006 जयपुर, दिनांक : 06-01-2022

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों द्वारा वेबसाईट पर स्वतः प्रकट (suo motu disclosure) की गई सूचनाओं के पर–पक्षीय अंकेक्षण से संबंधित कार्य हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा किया जा रहा है। पर–पक्षीय ऑडिट (Third party transparency audit) कार्य प्रारम्भ करने पर पाया गया है कि अधिकांश लोक प्राधिकरणों ने अपने विभाग की वेबसाईट पर धारा 4(1)(बी) के अनुरूप 17 बिन्दुओं की सूचना को या तो प्रकट ही नहीं की है या प्रकट भी की है, तो उन्हे अधिनियम की भावना के अनुरूप, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया गया है या उन्हे नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया गया है। इससे लोक प्राधिकरणों द्वारा वेबसाईट पर स्वतः प्रकट की गई सूचनाओं के पर–पक्षीय अंकेक्षण से संबंधित कार्य सार्थक रूप से सम्पादित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अधिनियम की धारा 4(1)(बी) की पालना हेतु विभाग की ओर से समय समय पर विभिन्न परिपत्र जारी किये गये है, किन्तु विभागो द्वारा इसकी पालना नहीं की जा रही है।

अतः समस्त लोक प्राधिकरणों अपने विभाग की वेबसाईट को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) में उल्लेखित 17 बिन्दुओं के अनुरूप और अद्यतन करयावा जाना सुनिश्चित करावें, जिससे संबंधित विभाग की वेबसाईट पर स्वतः प्रकट की गई सूचनाओं के पर–पक्षीय अंकेक्षण (Third party transparency audit) का कार्य सार्थक रूप से सम्पादित किया जा सकें।

(अश्विनी भगत)
प्रमुख शासन सचिव

JS(C)

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलक्टर।

शासन उप सचिव

गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 1513
दिनांक 20.5.2022

1176/55
19/8

राजस्थान सरकार

हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.आरटीआई /ऑडिट /रीपा/2021/376 जयपुर, दिनांक 18.04.2022

प्रेषिती:-

स्मरण पत्र

श्रीमान सयुंक्त शासन सचिव,
गृह विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्वतः प्रकट की गयी सूचनाओं (Proactive disclosure) की पर-पक्षीय ऑडिट (Third party audit) के संबंध में।

सन्दर्भ :- प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ट) जारी परिपत्र क्रमांक प 3(32) प्रसू / सूअप /2006 दिनांक 06.01.2022

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषय में निवेदन है कि इस संस्थान के पूर्व पत्र क्रमांक 98 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4, विशेष रूप से धारा 4 (1)(ख) में उल्लेखित सभी 17 बिंदुओं पर, विभाग से सम्बंधित स्वतः प्रकट की जाने वाली सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने / पूर्व में अपलोड की गयी सूचनाओं को अपडेट कराने; अपलोड करने /अपडेट करने की तिथि वेबसाइट पर अंकित कराने आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु, संभवतः इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पाई है। इससे पर-पक्षीय ऑडिट से सम्बंधित कार्य सार्थक रूप से सम्पादित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

JS(C)

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में यथा संभव शीघ्र अपेक्षित अग्रिम कार्यवाही करवाने की व्यवस्था करावें, जिससे, पर-पक्षीय ऑडिट का कार्य सार्थक रूप से सम्पादित कर, रिपोर्ट राज्य सरकार को यथा समय प्रस्तुत की जा सके।

सादर,

भवदीय,

कंसलटेंट, पर-पक्षीय ऑडिट
ह च मा रीपा, जयपुर
(0141-2715227 Ex 227)

20/5/2022

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(B) की सूचनायें

1. विभाग संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्यः-

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए, राजस्थान पुलिस में वर्ष 1949 में एक पुलिस अधीक्षक के तहत एक अलग "भ्रष्टाचार विरोधी सेल" बनाया गया था। सीआईडी की क्राइम ब्रांच बाद में वर्ष 1957 में, राजस्थान सरकार के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत, विशेष पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में राजस्थान पुलिस की एक अलग भ्रष्टाचार विरोधी शाखा की स्थापना की गई। विशेष पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के कार्यालय को सरकार द्वारा एक पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था, जिसे भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस स्टेशन के रूप में जाना जाता है, जिसका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र राज्य के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान के गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 4 के खंड [एस] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। उसी तिथि की एक अन्य अधिसूचना, संख्या एफ.14/1/एचए/59 के माध्यम से और उसी दिन राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित, सरकार ने धारा 156 और 551 के साथ पठित धारा 4 के खंड (पी) के अनुसरण में दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पुलिस उप-निरीक्षक के पद के ऊपर और ऊपर के सभी अधिकारियों को एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया। अधिसूचना ने भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस स्टेशन को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित सभी संज्ञेय अपराधों से निपटने का अधिकार दिया, जिसमें आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक कदाचार शामिल था जिसमें एक लोक सेवक भी शामिल था। वर्ष 1991 में अधिसूचना संख्या 29(92) होम/ग्रेड I/90 दिनांक 25-2-1991 के तहत राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का नाम बदलकर राजस्थान राज्य जांच ब्यूरो कर

दिया। इसके अलावा, अधिसूचना ने RSBI के दायरे को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के मामलों और सरकार के एक विशिष्ट आदेश द्वारा RSBI को सौंपे गए IPC के तहत कुछ विशिष्ट अपराधों तक बढ़ा दिया। वर्ष 1998 में, अधिसूचना संख्या 29(92)होम/ग्रेड I/90-भाग, दिनांक 24-11-1998 द्वारा, राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य जांच ब्यूरो का नाम बदलकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कर दिया।

2. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य:-

लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रवर्तन। भ्रष्ट लोक सेवकों की पहचान और ऐसे भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई का आयोजन भ्रष्टाचार से निपटने के लिए निवारक तंत्र को मजबूत करना और इस संबंध में संयुक्त प्रयासों के लिए एचओडी के साथ संपर्क करना। भ्रष्टाचार की त्वरित जांच और परीक्षण के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली के एक प्रभावी विंग के रूप में कार्य करना। संबंधित मामले।

3- विभाग की विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

4. विभाग के अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदड :– भ्रनिब्यूरो विभाग की वेबसाईट पर विभागीय मैन्यूवल में उपलब्ध है।

5. विभाग द्वारा अपने नियंत्रणाधिन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख :- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम परिपत्र एवं विभागीय मैन्यूअल इत्यादि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

6. विभाग के दस्तावेज जो नियंत्राणाधीन है :- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

7. विभाग की व्यवस्था की विशिष्टियां नीति की संरचना एवं उसके कार्यान्वन के संबंध में जनता के सदस्यों से परार्मश के लिए अभ्यावेदन :-

Anti Corruption Bureau, Rajasthan
J-9, Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004 (Rajasthan)
Tele/Fax No 0141-2712263 (CPS)
Email -itcell.acb@rajasthan.gov.in,
Toll Free No. 1064 Whatsapp No. 9413502834

8- ऐसे बोर्ड़ो, परिषदो समितियों और अन्य निकायों के, जिनमे दो या अधिक व्यक्ति है जिनका उसके भागरथ में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारें में कि क्या उन बोर्ड़ो, परिषदो, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होंगी या ऐंसी बैठको के कार्यवृत तक जनता की पहुंच होगी का विवरण :- NIL

9- विभाग की अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

10- विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली :-

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण:- 09.03.2022

क.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	लेवल संख्या
1.	महानिदेशक	01	01	-	-
2.	अति. महानिदेशक	01	01	-	-
3.	महानिरीक्षक पुलिस	03	00	03	लेवल 24
4.	उप महानिरीक्षक पुलिस	04	06	+2	लेवल 22
5.	पुलिस अधीक्षक	06	05	01	लेवल 21
6.	अति. पुलिस अधीक्षक	60	32	28	लेवल 16
7.	उप अधीक्षक पुलिस	31	41 (+5)	+10	लेवल 14
8.	पुलिस निरीक्षक	98	60	38	लेवल 12
9.	उप निरीक्षक पुलिस	35	27	08	लेवल 11
10.	सहायक उप निरीक्षक पुलिस	26	25	01	लेवल 10
11.	मुख्य आरक्षक (सीपी)	155	116	39	लेवल 8
12.	मुख्य आरक्षक (एमटी)	11	04	07	लेवल 8
13.	आरक्षक	488	486	02	लेवल 7
14.	आरक्षक ड्राईवर	95	90	05	लेवल 7
15.	वित्तीय सलाहकार	01	01	-	लेवल 21
16.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	01	-	लेवल 16
17.	आर.ए.एस. (उप निदेशक राजस्व)	02	01	01	लेवल 16
18.	अधिशाषी अभियंता (उप निदेशक तकनीकी)	01	01		लेवल 16
19.	अपर निदेशक अभियोजन	01	01	-	लेवल 16
20.	उप निदेशक अभियोजन	02	02	-	लेवल 16
21.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	01	01	-	लेवल 16
22.	निजी सचिव	01	-	01	लेवल 15
23.	असिस्टेंट टेस्टिग आफिसर	01	-	01	लेवल 14
24.	लेखाधिकारी	01	01	-	लेवल 14
25.	अति. निजी सचिव	01	-	01	लेवल 14
26.	जन सर्म्पक अधिकारी	01	01	-	लेवल 12
27.	प्रोग्रामर	01	-	01	लेवल 12
28.	सहायक विधि परामर्श	01	01	-	लेवल 14
29.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	-	लेवल 12
30.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	-	01	लेवल 11
31.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	05	04	01	लेवल 11
32.	सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड-II	03	03	00	लेवल 12
33.	निजी सहायक	07	02	05	लेवल 10
34.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	19	19	00	लेवल 10
35.	कनिष्ठ लेखाकार	01	01	-	लेवल 10
36.	शीघ्र लिपिक	10	-	10	लेवल 10
37.	वरिष्ठ सहायक	38	31	07	लेवल 8
38.	सूचना सहायक	03	01	02	लेवल 8
39.	कनिष्ठ सहायक	68	64	04	लेवल 7
40.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	17	09	08	लेवल 1
	कुल योग	1203	1040	175	

11- विभाग की योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोटों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आंवटित बजट

आय व्ययक अनुमान 2021-22 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

12- सहायिंकी कार्यकर्मों के निष्पादन की रीति जिसमें आंवटित राशि और ऐसे कार्यकर्मों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

कार्यकर्मो के निष्पादन आंवटित राशि से संबंधित सूचना भ्रनिब्यूरो की विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

13- विभागीय अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां :-NIL

14- किसी इलैक्ट्रानिक रूप से सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या धारित हो :- भ्रनिब्यूरो द्वारा वर्ष-2022 से एफ.आई.आर ब्यूरो की विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करवाई जा रही है।

15- विभाग अभिप्राय करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की कार्यालय के कार्यकरण घंटे विशिष्टियां :- कार्यालय का नाम : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर राजस्थान, कार्यालय खुलने का समय 9 : 30 AM TO 6 PM

16. लोक सूचना अधिकारीयों के नाम एवं पदनाम और अन्य विशिष्टियां :-

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 5 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हेतु निम्नांकित अधिकारियों को प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना

अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

1	श्री कालूराम रावत	उपमहानिरीक्षक	प्रथम अपीलीय अधिकारी
	श्री विशनाराम	अति. पुलिस अधीक्षक(परि.शाखा)	लोक सूचना अधिकारी
	श्री अभय कुमार	पुलिस उप अधीक्षक (अपराध शाखा)	सहायक लोक सूचना अधिकारी

17. विभाग की अन्य प्रकार की विहित सूचना :–NIL